

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर - 3029/रा, दिनांक = 30-12-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-विशनपुर सोनसा, परगना-कसमा, अंचल-खानपुर, थाना-वारिसनगर, थाना नं०-227, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् अंगारघाट में बूढ़ी गंडक नदी पर उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु स्थायी भू-अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-विशनपुर सोनसा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.13 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 38, 21 एवं 6 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- सीमा रेखा ग्राम शाहपुर।

पूरब :- वर्तमान बाँध खेसरा सं० 5

दक्षिण :- अंश खेसरा सं० 38, 21 एवं 6

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा सं० 41 एवं सीमा रेखा ग्राम-शाहपुर।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ० के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०

सरकार के अवर सचिव

जिला भू-अर्जन पदा०
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता
समस्तीपुर।


समाहर्ता
समस्तीपुर।

- 3029/27

ज्ञापांक...../ डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना, - / - दिनांक : 30-12-13

- प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/किशनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त


सरकार के अवर सचिव